सं. 28036/01/2007-स्था.(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषयः तदर्थ नियुक्ति - समूह 'ग' और 'घ' पदों पर तदर्थ आधार पर 3 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

अधोहस्ताक्षरी को तदर्थ नियुक्ति पर अनुदेशों के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28036/8/87-स्थापना (डी) दिनांक 30.3.1988 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 28036/1/2001-स्थापना(डी) दिनांक 23.7.2001 का हवाला देने का निदेश हुआ है । इस तथ्य को ध्यान रखते हुए कि मंत्रालय/विभाग समूह 'ग' और 'घ' पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करने/इसमें ढील देने के लिए सक्षम हैं, समूह 'ग' और 'घ' पदों पर 3 वर्ष तक की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित मंत्रालय/विभाग को निम्न शर्तों के अधीन शक्ति प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया है :

(i) जैसा कि वर्तमान अनुदेशों में सर्वत्र बल दिया गया है, तदर्थ नियुक्ति केवल कार्य की अत्यावश्यकता के मद्देनजर असाधारण मामलों में ही की जानी चाहिए । प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग विभिन्न पहलुओं पर इस विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए समूह 'ग' और 'घ' पदों के संबंध में भर्ती नियम बनाने/उनमें संशोधन करने के लिए सशक्त हैं । इस विभाग की पूर्व सहमति केवल वहीं अपेक्षित है जहाँ सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा अथवा योग्यता को नियंत्रित करने वाले ऐसे नियमों के प्रावधानों में कोई छूट शामिल है । इसीलिए, तदर्थ नियुक्ति करने के अवसर समूह 'ग' और 'घ' पदों के कुछ ही मामलों में उत्पन्न होने चाहिए । मंत्रालय/विभाग एक वर्ष के लिए तदर्थ नियुक्ति की अनुमति उक्त विषय पर अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए मंजूर कर सकता है । एक समय में एक वर्ष से लेकर दो वर्ष तक का विस्तार संबंधित सचिव के अनुमोदन से मंजूर किया जा सकता है ।

(ii) कार्यालय ज्ञापन संख्या 28036/1/2001-स्था(घ) दिनांक 23.07.2001 में लिखित अनुदेशों की शर्तों के अनुसार मंत्रालय/विभाग द्वारा कोई भी तदर्थ नियुक्ति मुक्त बाजार से नहीं की जा सकती । केवल अपवादिक मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति किया जाना अपरिहार्य है, उक्त के संबंध में पूर्ण औचित्य बताते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त की जाए ।

(iii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की शर्त्तों के अनुसार, तदर्थ नियुक्ति हेतु अनुमति उक्त पद के नियुक्ति प्राधिकारी से एक स्तर उच्चतर प्राधिकारी द्वारा मंजूर की जानी चाहिए । कोई निर्णय लेने से पूर्व तदर्थ आधार पर पद को भरने की विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकता का निष्पक्ष मूल्यांकन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के आधार पर किया जाना चाहिए ।

(iv) केवल उन अधिकारियों के नाम पर तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए जो भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हता शर्त्तों को पूरी करते हों । जहाँ पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं है, आपवादिक परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक छूट प्राप्त की जानी चाहिए ।

(v) तदर्थ पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.09.1983 के स्थान पर कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/14/83-स्था(एससीटी) दिनांक 30.04.1983 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा क्योंकि उक्त कार्यालय ज्ञापन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/27/2000-स्था (आरक्षण) दिनांक 15.03.2002 द्वारा वापस ले लिया गया है ।

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 28036/1/2001-स्थापना(घ) दिनांक 23.7.2001 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निर्धारित किया गया है कि जब भी नियुक्ति तदर्थ आधार पर की जाती है इस तथ्य कि ऐसी नियुक्ति तदर्थ है तथा इस प्रकार की नियुक्ति से व्यक्ति को नियमित नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा, को नियुक्ति के आदेशों में स्पष्टतः उल्लिखित किया जाना चाहिए । यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संबंधित ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना, उस ग्रेड में वरिष्ठता के उद्देश्यार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति पात्रता हेतु नहीं की जाएगी ।

3. यह आदेश जारी होने की तिथि से लागू होगा ।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से इन अनुदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में मार्गदर्शन एवं कड़ाई से अनुपालन करने हेतु लाए जाने का अनुरोध किया जाता है ।

स्मिता कुमार

(स्मिता कुमार)
निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि :

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, नई दिल्ली।
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
10. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
11. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
12. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
13. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग।
14. वेब साइट अनुभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
15. सूचना सुविधा केन्द्र, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -- 25 अतिरिक्त प्रतियां।
16. 100 अतिरिक्त प्रतियाँ।